

फार्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष -2020 2017-18

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो. ओमकुमारी सोनी
 2 वर्तमान धारित पद व्यारव्याता (आई.टी.)
 3 वर्तमान वेतन- 15600 + 6000 अगली वेतनवृद्धि की दिनांक

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यारे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है। और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उस किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीदपट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
Gwalior (M.P.)	Flat No. 303 Narayani Apartment Ganga Vihar	—	(20 लाख) 20 Lakh	Self	On Date 20.11.15 from Mrs. Geeta Bardil, 101 Ganga Vihar, Gwalior	Nil	Purchased by Loan taken from SBI

- 4 जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 5 ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।
 6 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी- म020शासकीय सेवक (आवरण)नियम 1959 के नियम 18(3)के अधीन प्रथमश्रेणी/द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्यायत यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर व उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक कर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यारे दें।

हस्ताक्षर ओमकुमारी सोनी
 नाम- ओमकुमारी सोनी
 पदनाम- व्यारव्याता (आई.टी.)

फार्म
प्रथम-नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण वर्ष -2020 2018-19

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है ओमकुमारी सोनी
 2 वर्तमान धारित पद प्यारव्याता (आई.टी.)
 3 वर्तमान वेतन- 15600+6000 अगली वेतनवृद्धि की दिनांक _____

उस जिले, उपसभागा, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है। और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीदपट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
No change same as previous							

- 4 जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 5 ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।
 6 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी- गठप्रशासकीय सेवक (आधरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथमश्रेणी/द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक कर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर ओमकुमारी सोनी
 नाम- ओमकुमारी सोनी
 पदनाम- प्यारव्याता आई.टी.

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष -2020 - 2019-20

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो ओमकुमारी सोनी
 2 वर्तमान धारित पद ट्यूटोरियल (आइ.टी.)
 3 वर्तमान वेतन- 15600+6000 अगली वेतनवृद्धि की दिनांक _____

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि यह किसके नाम पर धारित है। और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीदपट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिवृत्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
	No change			same as	previous		

- 4 जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 5 ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।
 6 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी- 2020 शासकीय सेवक (आधरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर व उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक कर उसके द्वारा धारित सनत्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Om Kumari
 नाम- Om Kumari Soni
 पदनाम Lecturer